केस स्टडी-24/2025

टी.आर.ओ. नागपुर

जारी तिथि : 26.07.2025

Caution Order

घटनाक्रम: दिनांक 02.07.2025 को, मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल में ट्रेन नं. HG/N, लोको नं. 12297+12139/UBL, सेक्शन: DUD-BOT में कार्य करते समय किलो मीटर नम्बर OHE मास्ट नंबर 511/35 से 511/29 के बीच ब्रिज स्लीपर बदलने का कार्य के लिए 30 Kmph का सतर्कता आदेश लगाया गया था। स्थान पर तैनात इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा रिपोर्ट किया कि लोको पायलट ने CDO स्थल पर निर्धारित गति सीमा 30 Kmph का पालन नहीं किया। संयुक्त समिति द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ट्रेन ने कुल 830 मीटर के सतर्कता क्षेत्र में से शुरू के 358 मीटर की दूरी 49 Kmph से 30 Kmph की घटती हुई गति से पार की और शेष 472 मीटर की दूरी अनुमत गति सीमा 30 Kmph से तय की।

संभावित कारण:

- ✓ LP ने ट्रेन की गति को पहले से नियंत्रित नहीं किया और पूरी सतर्कता आदेश सीमा (CDO स्थल की शुरुआत से समाप्ति तक) का सही ढंग से पालन न करना।
- ✓ ALP ने भी समय पर कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की, जब LP ने गति कम नहीं की, जिससे गाड़ी 358 मीटर तक गति सीमा 30 Kmph से अधिक गति से पार करना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- किसी भी सतर्कता आदेश के पास पहुँचने पर, LP व ALP दोनों को गति सीमा एवं OHE मास्ट नंबर के साथ सतर्कता आदेश को जोर से पुकारकर दोहराना चाहिए - संबंधित ब्लॉक खंड में प्रवेश करने से पहले व सतर्कता स्थल से लगभग 2 किमी पहले से भी।
- LP को सतर्क रहना चाहिए और सतर्कता संकेतक को देखते ही A-9/रिजेनेरेटिव ब्रेक (Regenerative brake) लगाकर (सेक्शन की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए) ट्रेन की गति को नियंत्रित करना चाहिए। देरी से प्रतिक्रिया देने पर ट्रेन अधिकतम गति से सतर्कता स्थल को पार कर सकती है।
- ALP को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि LP सतर्कता आदेश के अनुसार आवश्यक रूप से गति को नियंत्रित कर रहा है या नहीं।
- यदि LP समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ALP को RS वाल्व द्वारा ब्रेक लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है; LP की सहायता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
- सतर्कता आदेश क्षेत्र में इंजीनियरिंग द्वारा दिए गए फ्लेग/हाथ संकेतों का कड़ाई से पालन करें और उसके अनुसार कार्रवाई करें।
- बार-बार पीछे की ओर देखकर ट्रेन की सुरक्षित आने की भी सुनिश्चितता करें व सतर्कता क्षेत्र में प्रवेश करते एवं पार करते समय निर्धारित नियमों के अनुसार हॉर्न बजाएं।
- यदि ट्रेन संचालन के दौरान इंजीनियरिंग/ठेका कर्मचारियों की भीड़ दिखाई दें व स्थिति असुरक्षित प्रतीत हो, तो तत्काल सतर्कता आदेश देखकर पुष्टि करें व आवश्यकता होने पर बिना झिझक ब्रेक लगाएं।

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु.श्रीवास्तव)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर